खाद्य व्यापार, साइनेज और बोरिंग के लिए अब 30 दिन में एनओसी

नगर निकायों की तीनों सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल, आदेश जारी

लखनऊ। प्रदेश में साइनेज (डिस्प्ले बोर्ड) व खाद्य व्यापार के लाइसेंस और भूगर्भ जल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अब महज 30 दिन में जारी होंगे। नगर निकायों के स्तर से मिलने वाली इन तीनों सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से खाद्य व्यापार से जुड़े छोटे व मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, बोरिंग कराने के लिए आवेदन देने वालों को भी नगर निकायों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

दरअसल, इन तीनों सेवाओं से संबंधित आवेदनों के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित नहीं होने की वजह से नगर निकायों के अधिकारी व बाबू आवेदकों महीने दौड़ते थे और उनका शोषण करते थे। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने इन सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक साइनेज व खाद्य व्यापार का लाइसेंस और बोरिंग कराने के संबंध में दी जाने वाली एनओसी के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य कर दिया है।

निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदन का निस्तारण न होने की स्थिति में आवेदक प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। दोनों अपीलीय अधिकारियों के यहां से भी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए 20-20 दिन का समय तय किया गया है। ब्यूरो